

प्रेस नोट
थाना बरुआसागर, झाँसी

दिनांक 24.08.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.08.2026 को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-228/2026 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 से संबंधित अभियुक्त - आकाश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम तिलैथा थाना बरुआसागर, जनपद- झाँसी को ग्राम तैंदोल पुल के पास थाना बरुआसागर झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

आकाश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम तिलैथा थाना बरुआसागर, जनपद- झाँसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री विशेष पाल सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
- 2-का0 1869 सुखवीर सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।